

अंतिम डिक्री मुकदमा इबदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 3/2010
निर्णय दिनांक : 22.05.2024

उनवान

1. श्रीमति प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री दुर्गालाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ई-251, उदयपथ, श्याम नगर, जयपुर।
2. श्रीमति रोमा शर्मा पुत्री श्री दुर्गालाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ई-251, उदयपथ, श्याम नगर, जयपुर। जरिये मुख्त्यारआम प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री दुर्गालाल शर्मा
वादीगण


बनाम

1. विस्वास निर्माण प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9-10, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर जरिये निदेशक श्री सुरेन्द्र मेघवाल पुत्र स्व. शिव प्रसाद वर्मा, निवासी प्लॉट नम्बर ए-2, संजय कॉलोनी, नेहरू नगर, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निपेघाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाके ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 210 पुराना खाता संख्या 112 के खसरा नम्बर 467 रकबा 0.36 है० तथा हाल खाता संख्या 209 पुराना खाता संख्या 112 के खसरा नम्बर 468 रकबा 0.39 है० का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

| राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज ग्राम वाटिका | | | | | | |
|---|-------------|--|------------|------|-------|------|
| क्र. सं. | खाता संख्या | खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | लगान |
| 1 | 210 | प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री दुर्गालाल हिस्सा 23/240 रोमा शर्मा पुत्री श्री दुर्गालाल शर्मा, हिस्सा 23/240, जाति ब्राह्मण, निवासी ई-251, उदयपथ, श्याम नगर, जयपुर मै० विस्वास निर्माण प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय | 467 | 0.36 | | |


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

| | | | | | |
|----|--|-----|------|--|--|
| | 9-10, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर हिस्सा 97/120 | | | | |
| | कुल किता | 1 | 0.36 | | |
| 2. | प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री दुर्गालाल हिस्सा 7/260 रोमा शर्मा पुत्री श्री दुर्गालाल शर्मा, हिस्सा 7/260, जाति ब्राह्मण, निवासी ई-251, उदयपथ, श्याम नगर जयपुर मै0 बिस्वास निर्माण प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9-10, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर हिस्सा 123/130 | 468 | 0.39 | | |
| | कुल किता | 468 | 0.39 | | |

| प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज ग्राम वाटिका | | | | | | |
|--|------|--|-----------------------|------------------------------|-------|-----|
| क्र. सं. | लगान | प्रस्तावित खातेदार | प्रस्तावित खसरा नम्बर | प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में | किस्म | रंग |
| 1 | | प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री दुर्गालाल हिस्सा 1/2 रोमा शर्मा पुत्री श्री दुर्गालाल शर्मा, हिस्सा 1/2, जाति ब्राह्मण, निवासी ई-251, उदयपथ, श्याम नगर, जयपुर | 467 मि. 468 मि. | 0.06 0.03 | | |
| | | कुल किता | 02 | 0.09 | | |
| 2. | | मै0 बिस्वास निर्माण प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9-10, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर | 467 मि. 468 मि. | 0.30 0.36 | | |
| | | कुल किता | 02 | 0.66 | | |

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.05.2024 को


जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उपस्थान्त अधिकारी
जयपुर वितीय (सांगानेर)

| मुदई | रुपये | पैसे | मुदायलह | रुपये | पैसे |
|---|-------|------|---|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | 1 | 00 | स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | 1 | 00 |

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 65/2021
निर्णय दिनांक : 22.05.2024

उनवान

1. श्रीमति प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री दुर्गालाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ई-251, उदयपथ, श्याम नगर, जयपुर।
 2. श्रीमति रोमा शर्मा पुत्री श्री दुर्गालाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ई-251, उदयपथ, श्याम नगर, जयपुर। जरिये मुख्त्यारआम प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री दुर्गालाल शर्मा
- वादीगण

बनाम

1. विस्वास निर्माण प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9-10, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर जरिये निदेशक श्री सुरेन्द्र मेघवाल पुत्र स्व. शिव प्रसाद वर्मा, निवासी प्लॉट नम्बर ए-2, संजय कॉलोनी, नेहरू नगर, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।


प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी ने वाद पत्र बाबत तकासमा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 14.02.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों में तैयार करवा कर इस न्यायालय को दिनांक 14.03.2024 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर के पत्रांक कोर्ट/भू0अ0/कुर्रेजात/2024 दिनांक 03.05.2024 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

उपस्थित अधिवक्ता की बहस अंतिम कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। हमने बहस उपस्थित अधिवक्ता, पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वाद वादीगण तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 210 पुराना खाता संख्या 112 के खसरा नम्बर 467 रकबा 0.36 है० तथा हाल खाता संख्या 209 पुराना खाता संख्या 112 के खसरा नम्बर 468 रकबा 0.39 है० का तकासमा


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

| राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज ग्राम वाटिका | | | | | | |
|---|-------------|--|------------|------|-------|------|
| क्र. सं. | खाता संख्या | खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | लगान |
| 1 | 210 | प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री दुर्गालाल हिस्सा 23/240 रोमा शर्मा पुत्री श्री दुर्गालाल शर्मा, हिस्सा 23/240, जाति ब्राह्मण, निवासी ई-251, उदयपथ, श्याम नगर, जयपुर मै0 बिस्वास निर्माण प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9-10, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर हिस्सा 97/120 | 467 | 0.36 | | |
| | | कुल किता | 1 | 0.36 | | |
| 2. | | प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री दुर्गालाल हिस्सा 7/260 रोमा शर्मा पुत्री श्री दुर्गालाल शर्मा, हिस्सा 7/260, जाति ब्राह्मण, निवासी ई-251, उदयपथ, श्याम नगर जयपुर मै0 बिस्वास निर्माण प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9-10, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर हिस्सा 123/130 | 468 | 0.39 | | |
| | | कुल किता | 468 | 0.39 | | |

| प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज ग्राम वाटिका | | | | | | |
|--|------|--|-----------------------|------------------------------|-------|-----|
| क्र. सं. | लगान | प्रस्तावित खातेदार | प्रस्तावित खसरा नम्बर | प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में | किस्म | रंग |
| 1 | | प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री दुर्गालाल हिस्सा 1/2 रोमा शर्मा पुत्री श्री दुर्गालाल शर्मा, हिस्सा 1/2, जाति ब्राह्मण, निवासी ई-251, उदयपथ, श्याम नगर, जयपुर | 467 मि. 468 मि. | 0.06 0.03 | | |
| | | कुल किता | 02 | 0.09 | | |
| | | मै0 बिस्वास निर्माण प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 9-10, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर | 467 मि. 468 मि. | 0.30 0.36 | | |
| | | कुल किता | 02 | 0.66 | | |

AL
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।



(हिम्मत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर